

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

No.F. 2-3/2024- Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029  
Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated

कार्यालय आदेश /OFFICE ORDER

10 2 SEP 2024

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर पदोन्नति के संदर्भ में  
Subject:- Promotion to the post of Chief Medical Social Welfare Officer at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 21.03.2024 को चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत सुश्री सोनिया गोसेन (पूर्व नाम अरोडा), सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर को पदभार ग्रहण करने की तिथि से चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (पूर्व संशोधित पी.बी.3 रु. 15600-39100 + ग्रेड पे. रु. 6600/-) पर पदोन्नत किया जाता है। उनकी वरिष्ठता चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर दिनांक 01.09.2024 को उत्पन्न होने वाली रिक्ति की तिथि से प्रभावी होगी।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Chief Medical Social Welfare Officer held on 21.03.2024 and its acceptance by the Competent Authority **Ms. Sonia Gosain (nee Arora), Supervising Medical Social Welfare Officer** is promoted to the post of Chief Medical Social Welfare Officer in Level-11 of the pay matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100+Grade Pay of Rs. 6600/-) from the date she assumes the charge of the post of Chief Medical Social Welfare Officer. However, her seniority in the post of Chief Medical Social Welfare Officer will be effective from occurrence of vacancy i.e. 01.09.2024.

वह चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर पदभार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/बदसा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date she assumes the charge to the post of **Chief Medical Social Welfare Officer**.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ आर 22 (1) यदि लागू है तो के अंतर्गत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनविरधी पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनने बरश्ति उन्हें आशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of his pay under FR-22 (1) if applicable, either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

जारी / contd-----

इनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (हरियाणा) एन.सी.आई झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र में स्थानांतरित है। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Her services are transferable to the other centre facilities presently at Ballabgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. She can be asked to perform duties in shifts also.

वह दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा पर रहेंगी। परीक्षा अवधि के दौरान उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवा किसी भी समय बिना नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory services failing which her services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस संबंध में डीओपीटी से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Chief Medical Social Welfare Officer is subject to review as per outcome of the SLP No. 30621/2011 pending before the Hon'ble Supreme Court or in any other court case or any clarification issued by the DOP&T in this regard.

  
[विश्वेश चतुर्वेदी / VISHWESH CHATURVEDI]  
प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

**सुश्री सोनिया अरोडा, सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर**

**Sh. Sonia Gosain (nee Arora), Supervising Medical Social Welfare Officer**

**द्वारा/Thr.:- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स विभाग / Prof. & Head, Deptt of Orthopedics**

**प्रतिलिपि:**

- 1 चिकित्सा अधीक्षक, अस्पताल / Medical Supdt, Hospital
- 2 आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स / Prof. & Head, Deptt of Orthopedics
- 3 प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल / Administrative Officer, Hospital
- 4 स्थापना अनुभाग - अस्पताल / Establishment Section, Hospital
- 5 लेखा विभाग - II एवं III / Account Section-II & III
- 6 जनरल सेक्शन / संपदा विभाग / एसीआर सेल / General Section / Estate Section / ACR Cell
- 7 एससी / एसटी सेल / सतर्कता विभाग / लीगल सेल / SC/ST Cell / Vigilance Cell / Legal Cell
- 8 प्रोफेसर इंचार्ज - कम्प्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें  
Professor In Charge - Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website
- 8 डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबधित सहायक  
Dealing Assistant, Recruitment Cell